

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (i)
PART II--Section 3--Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 1974/ज्येष्ठ 24, 1896

No. 147] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 1974/JYAISTHA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate pagting is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June 1974

G.S.R. 268(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Railway Services (Revised Pay) First Amendment Rules, 1974.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1973,—

(1) in rule 2,—

(i) in sub-rule (1), the following proviso shall be added at the end, namely:—

“Provided that notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, these rules shall apply in relation to persons holding posts the upgraded revised scale of pay of which is Rs. 3000 (fixed) or Rs. 3250 (fixed) or Rs. 3000—100—3500 or Rs. 3500 (fixed), on and from such date or dates as the Central Government may specify as the date or dates on which the revised scales of pay relating to such posts shall come into force.”

(ii) in sub-rule (2), clause (a) shall be omitted.

(2) in rule 7, in sub-rule (1),

(i) For the expression "In the case of a Railway servant drawing basic pay upto and including Rs. 900 in the existing scale"—, the following shall be substituted, namely,—

"(A) In the case of a Railway servant drawing basic pay upto and including Rs. 1800 in the existing scale—".

(ii) After the third proviso, the following shall be inserted, namely,—

"(B) In the case of a Railway servant drawing basic pay exceeding Rs. 1800 in the existing scale, the initial pay in the revised scale shall be fixed under the provisions of Rules 2017 (F.R. 22), 2019 (F.R. 23) and 2027 (F.R. 31) of the Indian Railway Establishment Code, Volume II and for this purpose his pay in the existing scale shall be deemed to include the dearness allowance, if any, drawn by him."

(iii) In Notes 3 and 4, for the expression "clause (b)", the expression "clause (b) of paragraph (A) or paragraph (B)" shall be substituted.

(3) In the First Schedule, after the entries relating to "INDIAN RAILWAYS INSTITUTE OF ADVANCED TRACK TECHNOLOGY, PUNE", the following shall be inserted, namely,—

CLASS I SERVICES AND POSTS ON ZONAL RAILWAYS & PRODUCTION UNITS

Designation	Present authorised scale of pay (Rs.)	Revised scale of pay (Rs.)	Remarks
1	2	3	4
<i>Posts other than those of Divisional Superintendents and those in Medical and Security departments</i>			
(a) All duty posts on the present standard Inter-Administrative Grade and the present standard Junior Administrative Grade in the following Services:—	1600—100—1800 (Inter-Administrative Grade)	1500—60—1800— 100—2000	
(i) Indian Railway Service of Engineers;	1300—60—1600 (Junior Administrative Grade)		
(ii) Indian Railway Accounts Service;			
(iii) Indian Railway Traffic Service;			
(iv) Indian Railway Service of Mechanical Engineers;			
(v) Indian Railway Service of Electrical Engineers;			
(vi) Indian Railway Service of Signal Engineers;			
(vii) Indian Railway Stores Service.			
(b) All other posts on the present standard Inter-Administrative Grade and the present standard Junior Administrative Grade when held by officers of these grades belonging to the services mentioned in (a) above.	1600—100—1800 (Inter-Administrative Grade) 1300—60—1600 (Junior Administrative Grade)	1500—60—1800— 100—2000	

1	2	3	4
(c) Chemist & Metallurgist	700—40—1100— 50/2—1300	1100—50—1500— 60—1800	
(d) Superintendent, Printing & Stationery	700—40—1100— 50/2—1250	1100—50—1600	
(e) Chief Cashier	700—40—1100— 50/2—1250	1100—50—1600	
(f) All posts on the present standard Class I Senior Scale other than items (d) & (e)	700—(6th year & under)—40— 1100—50/2— 1250	1100—(6th year or under)—50—1600	
(g) All posts on the present standard Class I Junior Scale.	400—400—450—30 —600—35—670— EB—35—950	700—40—900—EB —40—1100—50— 1300	

[No. PC III-74/ROP-I/14]

P. LAL,

Jt. Secy, Railway Board.

Explanatory Memorandum

The Railway Services (Revised Pay) Rules, 1973 were issued to implement the recommendations made by the Third Pay Commission in respect of the pay scales of Class II, Class III and Class IV employees. They were given effect to from 1st January, 1973. Government have since broadly accepted, with some modifications, the recommendations of the Third Central Pay Commission regarding the pay scales in Class I services/posts and have decided that, except in respect of revision of pay or scales of pay of posts which have been upgraded to Rs. 3000 (fixed) or above, the date of effect of revision of pay scales in Class I Services/posts shall be the same as for employees in Classes II to IV, namely, 1st January, 1973. The Railway Services (Revised Pay) Rules, 1973 are, therefore, being amended accordingly.

[No. PCIII-74/ROP-1/14]

P. LAL,
Jt. Secy, Railway Board.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 11 जून 1974

सां. कां. निं. 268(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

- (1) ये नियम रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) प्रथम समोधन नियम, 1974 कहे जा सकेंगे;
- (2) ये जनवरी, 1973 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 में—

(1) नियम 2 में—

- (1) उप-नियम (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु नियम 1 के उप-नियम (2) में किसी बात के रहते हुए भी ये नियम उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होंगे जो वहे हुए एतदनुसार पुनरीक्षित 3,000 रुपये (स्थिर) या 3,250 रुपये (स्थिर) या 3,000-100-3,500 रुपये या 3,500 रुपये (स्थिर) के वेतनमान वाले पदों को धारण किए हुए हैं और उस तारीख या उन तारीखों की और से लागू होंगे, जिन्हें कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के पदों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट करे।”

- (ii) उप-नियम (2) का खंड (क) नुस्त कर दिया जाएगा।

(2) नियम 7 में, उप-नियम (i) में—

(i) “ऐसे रेल कर्मचारी की दशा में जो विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन 900 रुपये तक और 900 रुपये या रहा हो वाक्यांश के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(क) ऐसे रेल कर्मचारी की दशा में जो विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन 1800 रुपये तक या 1800 रुपये या रहा हो”

- (ii) नीचे परन्तुक के बाद निम्नलिखित हो अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्—

“(ख) वर्तमान वेतनमान में 1800 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले रेल कर्मचारी के मामले में, पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग II के नियम 2017 (मू. निं. 22), 2019 (मू. निं. 23) और 2027 (मू. निं. 31) के उपबन्धों के अन्तर्गत नियत किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए, वर्तमान वेतनमान में उसके वेतन में उसके द्वारा लिया जाने वाला मंडगाई भत्ता, यदि कोई हो, शामिल समझा जायेगा।”

(iii) टिप्पणी 3 और 4 में, “खण्ड (ख)” वाक्यांश के स्थान पर “पैरा (का) या पैरा (खा) के खण्ड (ख)” वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) प्रथम अनुसूची में “भारतीय रेल उच्च रेल पथ प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे” से सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्—

क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन एककों में श्रेणी की सेवाएँ और पद

पदनाम	वर्तमान प्राधिकृत वेतन- मान (रुपये)	पुनरीक्षित वेतनमान (रुपये)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)

मंडल अधिकारियों तथा जिल्ला और मुख्य विभागों के पदों में भिन्न पद

(क) निम्नलिखित सेवाओं में वर्तमान मानक अन्तर्प्रशासनिक पदक्रम और वर्तमान मानक कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में सभी इयुटी पदः—	1600-100-1800 (अन्तर्प्रशासनिक पदक्रम)	1500-60-1800- 100-2000	
(i) भारतीय रेल इंजीनियर सेवा ;	1300-60-1600 (कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम)		
(ii) भारतीय रेल लेखा सेवा ;			
(iii) भारतीय रेल यानायात्रा सेवा ;			
(iv) भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा ;			
(v) भारतीय रेल बिजली इंजीनियर सेवा ;			
(vi) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियर सेवा ;			
(vii) भारतीय रेल भंडार सेवा ;			
(ख) वर्तमान मानक अन्त- प्रशासनिक पदक्रम और वर्तमान मानक कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में अन्य सभी पद जब उन पदों पर उपर्युक्त (क) में उल्लिखित सेवाओं वाले इन पदक्रमों के अधिकारी आसीन हों ।	1600-100-1800 (अन्तर्प्रशासनिक पदक्रम) 1300-60-1800 (कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम)	1500-60-1800 -100-2000	

(1)	(2)	(3)	(4)
(ग) रसायनज्ञ और धातुकर्मी	700-40-1100- 50/2-1300	1100-50-1500 -60-1800	
(घ) अधीक्षक, मुद्रण और लेखन सामग्री ।	700-40-1100- 50/2-1250	1100-50-1600	
(ङ) मुख्य रीकड़िया	700-40-1100- 50/2-1250	1100-50-1600	
(च) मय(घ) और (ङ) में मिश्र. वर्तमान मानक श्रेणी I - वरिष्ठ वर्तमान के सभी पद	700-(छटा वर्ष और उसमें कम) 40- 1100-50/2- 1250	1100-(छटा वर्ष और उसमें कम) 50- 1600	
(छ) वर्तमान मानक श्रेणी I कनिष्ठ वर्तमान के सभी पद	400-100-450- 30-600-35- 670-द० री०- 35-950	700-40-900- द० री०-40-1100- 50-1300	

[म० प० सं० III/74/आद० ओ० पी०-1/14]

पुरुषोत्तम माल,
संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 श्रेणी II, श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के वेतनमान के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए जारी किया गया था। इन नियमों को 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त किया गया था। चूंकि सरकार ने श्रेणी I सेवा/पदों के वेतनमानों के सम्बन्ध में तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ आशोधनों के साथ स्थूल रूप में मान लिया है और यह विनिश्चय किया है कि उन पदों के वेतन या वेतनमान के संशोधन के बारे में जिनका पदक्रम 3000 रुपये (स्थिर) या अधिक बढ़ाया गया है के सिवाय श्रेणी I की सेवा/पदों के वेतनमान के संशोधन प्रवृत्त होने की तारीख वही होगी जो कि श्रेणी II से IV तक के कर्मचारियों के लिए होगी, अर्थात् 1 जनवरी, 1973 इसलिए रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।

[सं० पी० सी० III/74/आर० घो० पी०-1/14]

पुरुषोत्तम लाल,
संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड।